

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 75/2023 (GCMS No. 2023/79) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मुकेश आयु 45 साल पुत्र बिरजू जाति गुर्जर निवासी कांदरौली तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील श्री महावीरजी जिला करौली।

.....रेस्पोडेन्ट



अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर. एक्ट विरुद्ध आदेश दिनांक 04.01.2023 न्यायालय तहसीलदार श्रीमहावीरजी प्रकरण संख्या 113/2022 उनवानी सरकार बनाम मुकेश एवं न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली दिनांक 14.06.2023 मुकदमा नं. 08/2023 उनवानी मुकेश बनाम तहसीलदार।

उपस्थिति:-

1. अपीलान्ट की ओर से श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, वकील
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पैरोकार श्री निरंजन सिंह वकील

निर्णय

दिनांक : 27.09.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश अति. जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 14.06.2023 एवं तहसीलदार श्रीमहावीरजी के आदेश दिनांक 04.01.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि न्यायालय तहसीलदार श्रीमहावीरजी ने अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 953 रकवा 0.80 हैक्टे. किस्म बंजड प्रथम वांके ग्राम कांदरौली पर संवत् 2079 में पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये तीन माह के सिविल कारावास एवं पेनेल्टी से दण्डित किया गया है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली में उक्त आदेश की अपील करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सही मानते

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

हुये अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी गई। जिनके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।


2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु श्री निरन्जन सिंह राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को धारा 91(क) एल.आर.एक्ट के तहत जो नोटिस जारी किया गया था उसकी तामील प्राप्त मानकर भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलार्थी को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बिना सुने व बिना जबाब व साक्ष्य का अवसर दिये उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का सनेट की एकमात्र मनगढन्त व झूठी रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कहीं भी अंकित नहीं किया है कि पटवारी हल्का ने किस तारीख को रिपोर्ट की व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा किस तारीख को जाँच की गई। पटवारी हल्का के एकतरफा बयानों के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कि अपीलार्थी ने सम्वत् 2078 में रबी की फसल में भी सरसों की फसल काश्त की थी। जिसका मुकदमा नंबर 141/2022 सरकार बनाम मुकेश पुत्र बिरजू व प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर व भूमि से बेदखल करते हुये 495 रूपये शास्ति से दण्डित किया जाना बताया तथा प्रार्थी को उक्त भूमि पर अतिक्रमी माना। पत्रावली पर ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे साबित हो सके कि प्रार्थी को कभी फिजीकली बेदखल किया गया हो। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 952 खसरा नम्बर 953 के चपटेवा है तथा अपीलार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि की डोल मेड कर रखी है तथा दोनों समतल हैं। अगर भूलवश अपीलार्थी से कुछ जमीन पर अतिक्रमण हो गया हो तो अपीलार्थी स्वयं ही छोड़ने को तैयार है। प्रार्थी ने बदयांतिवश खसरा नम्बर 953 पर कोई अतिक्रमण कर फसल नहीं बोई है। पटवारी हल्का ने राजनैतिक लोगों के दबाब में आकर रंजिशवश मौके पर बिना छानबीन झूठी रिपोर्ट पेश की है। प्रार्थी ने पेनल्टी राशि 660 रूपये जमा करा दिये। पटवारी ने 19.01.2023 को रसीद दे दी। राजस्व रिकार्ड में विवादित खसरा नम्बरान सिवायचक दर्ज है और उस पर अपीलान्ट 40 वर्षों से काश्त कर रहे हैं तथा अपीलान्ट द्वारा फसल बोये जाने व कब्जे का अंकन तत्कालीन खसरा गिरदावरी में ताहाल चला आ रहा है। अपीलान्ट्स ने कोई नया कब्जा सम्वत् 2078 व 2079 में




अति. सभागीय अदालत
भरतपुर

नहीं किया बल्कि 40 वर्षों से निर्बाध कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्त सीमान्त कृषक की श्रेणी में आता है जो एक प्रकार से भूमिहीन है। अपीलान्त ने कृषि भूमि के आवंटन के लिए चैयरमैन पट्टा कमेटी (उपखण्ड अधिकारी) को नियमन के लिए आवेदन भी कर रखा है। अपीलान्त को वास्तविक रूप से मौके से कभी बेदखल नहीं किया गया। पटवारी हल्का के बयानों एवं घटना बही में कोई अंकन वास्तविक बेदखली का नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स के विरुद्ध धारा 91(2) एल.आर.एक्ट के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में आरआरडी 1993 (421, 362, 465), आरआरडी 1977 पेज 591, आरआरडी 1979 पेज 559 एवं आरआरडी 1996 पेज 583 व 585 प्रस्तुत किये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन पर कोई गौर नहीं किया। अपीलान्त मुकेश, हरवीर व गोरधन की खातेदारी का खसरा नम्बर 952 है जिसके पूर्व में विवादित खसरा नम्बर 953 लगा हुआ है और खसरा नम्बर 952 के सहारे सहारे रास्ता है। इसी प्रकार अपीलान्त अतरसिंह, प्रेमसिंह, समयसिंह, सिरमौर के खसरा नम्बरान भी इस खसरा नम्बर 953 से सटे हुये है। बिना माप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि अपीलान्त अपने कब्जे खातेदारी की भूमि के अलावा वर्तमान में खसरा नम्बर 953 के कितने क्षेत्रफल पर काबिज है। धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही करने से पूर्व नाप कर सही तथ्यों की जाँच करना आवश्यक है। सबसीक्विेंट ट्रेसपासर को हटाया जाकर नियमन की सिफारिश की जावे। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर हर दो अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 04.01.2023 तहसीलदार श्रीमहावीरजी एवं निर्णय दिनांक 14.06.2023 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली अपास्त किये जावें।


5. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। तहसीलदार ने ट्रेसपासर माना है। तहसीलदार व अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं जो सही है। इसके अलावा अपीलांट द्वारा ऐसा कोई रिकार्ड/साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि वह 40 वर्षों से विवादित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है, जबकि अपीलांट की आयु ही 45 वर्ष है, जो कथन को झूठलाता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय भूमि है। पटवारी हल्का सनेट द्वारा ग्राम कांदरौली के खसरा नं. 953 रकवा 0.80 हैक्टे.


अति. लनामीन अधुक्त
भरतपुर



राजकीय भूमि पर अपीलान्त द्वारा सरसों की काश्त कर संवत् 2079 में रबी में अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत सुनवाई का नोटिस जारी किया, जिसकी तामील स्वयं मुकेश पुत्र बिरजू को हुई। न्यायालय में अपीलान्त के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर पेनल्टी कायम कर बेदखली, शास्ती एवं फसल नीलामी की कार्यवाही की गई। अपीलान्त द्वारा फसल नीलामी में फसल स्वयं ने प्राप्त की तथा फसल नीलामी/पेनल्टी की राशि भी जमा कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में आमजनता कांदरौली ने पीएलपीसी के तहत रिट दायर की थी जिसमें माननीय न्यायालय ने अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किये गये। भूमि पर अतिचार हटाने के बावजूद पुनः अपीलान्त द्वारा अतिचार किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलांत राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपील में अपीलांत विवादित भूमि पर 40 वर्षों से काश्त करना अंकित कर रहा है जबकि अपील के शीर्षक में उसकी आयु ही 40 वर्ष के करीब है, जो उस समय नाबालिग रहा होगा जिससे उसका यह कथन कि लम्बे समय से इस पर काबिज काश्त है, सरासर असत्य, गलत, मनगढन्त एवं कल्पनातीत है। अपीलान्त द्वारा अपने बचाव पक्ष में कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया जिससे अपीलान्त के अतिक्रमण नहीं करने की पुष्टि होती हो। अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाणित हुआ है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांत द्वारा दी गई दलीलों से हम कतई सहमत नहीं हैं तथा विद्वान पैरोकार द्वारा दिये गये तर्क उचित, सारवान एवं प्रमाणिक हैं जिनसे हम पूर्णतया सहमत हैं। न्यायालय के मत में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांत की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 एवं 14.06.2023 यथावत रखे जाते हैं पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

